(26) (152)

नि०प्र०-5085/2018/सिंगरौली/भू०रा०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर रीवा कैम्प संभाग

रीवा (म0प्र0)

1. धनऊआ उम्र 65 वर्ष
2. केश कुवारी उम्र 57 वर्ष

दोनो पुत्री केमला निवासी ग्राम भलुगढ तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

.............................पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. रामलखन तनय केमला वैसवार उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम भलुगढ तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0
2. शासन म0प्र0 द्वारा पूर्व सरपंच संगीता सिंह ग्राम पंचायत भलुगढ तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

............................गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुध्द निर्णय एवं आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा प्रकरण कमांक 121/अपील/10–11 आदेश दिनांक 07.06.2018

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

संक्षिप्त विवरण

यहं कि पुनरीक्षणकर्तागण एवं गैरपुनरीक्षणकर्ता कमांक 1 सगे भाई बहन है, ग्राम भलुगढ की आराजी न0 1151, 1219, 1509, 1521, 2225, 1318, 2597 किता 8 जुमला रकवा 8.00 हे0 जिस विवादित भूमि कहा जावेगा, के भूमिस्वामी केमला पिता तपेश्वर वैसवार थे, पैत्रिक सम्पत्ति थी, जिसमे उभयपक्ष पुत्र पुत्रियो का हक व हित था, किन्तु गैरपुनरीक्षणकर्ता केमला ने सरपंच भलुगढ गैरपुनरीक्षणकर्ता कमांक 2 संगीता सिंह जो केमला की बहू थी, से मिलकर गलत सजरा बताकर मात्र अपने नाम वरिशाना नामान्तरण करवा लिया जिस आदेश से परिवेदित होकर प्रर्थिया पुनरीक्षणकर्तागणो ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया, अपील स्वीकार की जाकर सरपंच का नामान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया, जिस आदेश के विरुध्द गैरपुनरीक्षणकर्ता रामलखन ने द्वितीय अपील आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे आयुक्त महोदय ने अपील स्वीकार करके

(26)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R5085/नि./2018 जिला— सिंगरौली

धतुआ विरूद्ध रामलखन कैथवार

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री ... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 121/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 07-06-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21-08-2018 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

~~प्रस्तुत किया, अपील स्वीकार की जाकर ...~~

~~किया गया, जिस आदेश के विरुद्ध गैरपुनरीक्षणकर्ता रामलखन ने द्वितीय अपील~~

~~आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे आयुक्त महोदय ने अपील स्वीकार करके~~